

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, धोद, मु. सीकर

नारायण

बनाम

गणपत आदि

सं. मुकवमा

११.

मु. नं.

१५

वर्ष २०१५

आज्ञा-पत्र

क्र. सं.

२/१९

पश्चात्पुत्री पेशा हुई। वकील प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं में से कोई उपस्थित नहीं। न्यायालय समय में वकील प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं को बार-बार आवाज लगावाई गई। कोई भी उपस्थित नहीं। न्यायालय समय में दोपहर उभजे पुनः वकील प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं को बार-बार आवाज लगावाई गई। कोई भी उपस्थित नहीं। सायंकाल न्यायालय समय में वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी स्वयं को पुनः बार-बार आवाज लगावाई गई। कोई भी उपस्थित नहीं। वकील प्रार्थी व प्रार्थी अनुपस्थित। अलग पक्षावली अक्रम पेशी/बिडग हाजिरी में इसी स्तर पर खाजि की जाती है। पश्चात्पुत्री फौसल भुगत होकर बाद तकमील दाखिल दखलर हैं।

- १५
उपखण्ड अधिकारी
धोद न सीकर

